संख्या- /2026/ /002-E-1858326

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 18 मार्च, 2026

विषय:- आकांक्षी नगर योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 05 नगर निकायों द्वारा उपलब्ध कराये गए द्वितीय किश्त के प्रस्ताव / उपयोगिता प्रमाण पत्र के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रू० 4.3511 करोड़ (रु. चार करोड़ पैंतीस लाख ग्यारह हजार मात्र)अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- IT/88/आकांक्षी नगर योजना दिनांक 10 -03-2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आकांक्षी नगर योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 05 नगर निकायों द्वारा उपलब्ध कराये गए द्वितीय किश्त के प्रस्ताव / उपयोगिता प्रमाण पत्र के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि **रू० 4.3511 करोड़ (रु. चार करोड़ पैंतीस लाख ग्यारह हजार मात्र)** अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र संख्या- I/1049830/2025 दिनांक 06.08.2025 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 800-अन्य 12-आकांक्षी नगर योजना-35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" मद में कुल प्रावधानित धनराशि रू0 100.00 करोड के सापेक्ष निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा किये गए अनुरोध के क्रम में रू0 110.8315 करोड़ (रूपये एक सौ दस करोड़ तेरासी लाख पन्द्रह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 55.4181 करोड़ (रूपये पचपन करोड़ इकतालीस लाख इक्यासी हजार मात्र) अवमुक्त की गयी थी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आकांक्षी नगर योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 800-अन्य 12-आकांक्षी नगर योजना-35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" मद में प्रावधानित कुल धनराशि रू0 100.00 करोड (रुपये सौ करोड़ मात्र) में से अवशेष धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ- 3 में उल्लिखित 05 निकायों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -8 में उल्लिखित धनराशि कुल ***रू० 4.3511 करोड़ (रु. चार करोड़ पैंतीस लाख ग्यारह हजार मात्र) को द्वितीय किश्त के रूप में*** निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा० राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र0सं0	जिला	नगर पंचायत	कार्य का नाम	वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति (लाख में)	प्रथम किश्त की अवमुक्त धनराशि	निविदा की धनराशि (लाख में)	द्वितीय किश्त हेतु प्रस्तावित धनराशि (लाख में)	अभियुक्ति

				जीएसटी+A&OI +I.E.C सहित	(लाख में)			
1	2	3	4	5	6	7	8(7-6)	9
1	बांदा	नरैनी	1-नगर पंचायत नरैनी, बांदा में बरूआ स्योढ़ा मुख्य मार्ग से प्राईमरी विद्यालय चन्द्र नगर तक सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य। 2-नगर पंचायत नरैनी, बांदा में प्राईमरी विद्यालय पटेल नगर से रामस्वरूप सोनकर के मकान तक सी0सी0 रोड़ व नाली निर्माण कार्य। 3-नगर पंचायत नरैनी, बांदा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नरैनी के लिए सी0सी0 रोड़ व नाली निर्माण कार्य। 4-नगर पंचायत नरैनी, बांदा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नरैनी के कैंपस परिसर में हाईमास्ट/स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन का कार्य। 5-नगर पंचायत नरैनी, बांदा में मो0 देविन नगर	51.54	25.77	51.46	25.69	निविदा की धनरशि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से कम है अत: इसको निविदा की धनराशि के अनरूप घटाते हुये रू0 25.69 लाख द्वितीय किश्त में देय है।

			में स्थित मुक्तिधाम रोड़ पर हाईमास्ट/ स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन का कार्य। 6-नगर पंचायत नरैनी, बांदा में बरूआ रोड़ नरैनी में रामबहोरी वर्मा के मकान से प्राईमरी विद्यालय चन्द्र नगर तक स्ट्रीट लाईट पोल अधिष्ठापन का कार्य। 7-नगर पंचायत नरैनी, बांदा में मो0 पटेल नगर में प्राईमरी विद्यालय पटेल नगर से दयाराम प्रजापति के मकान तक स्ट्रीट लाईट पोल अधिष्ठापन का कार्य। 8-मोहल्ला जवाहर नगर में रोड के प्रारम्भ से 125 मीटर बयारिस खेर हनुमान मन्दिर तक सी0सी0 रोड कार्य।					
2	प्रतापगढ़	डेरवा	1-वार्ड नं-14 में अर्बन हाट के लिए टाकीज रोड मो0 अली की दुकान से जिल्ला तालाब तक वेण्डिंग जोन हेतु सड़क	54.37	27.18	55.00	27.19	निविदा की धनरशि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक है अत: इसको प्रशासकीय

			के दोनों तरफ फुटपाथ 2-वार्ड नं0-14 सबलगढ़ पश्चिमी में प्राथमिक विद्यालय डेरबा बाजार एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय सबलगढ़ के दोनों तरफ स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन कार्य 3-वार्ड नं0-13 में दूषित जल से पनपने वाले बीमारियों को रोकने के लिएपक्की सड़क से सुरेश के घर तक कवर्ड नाली निर्माण कार्य। 4-वार्ड नं0-11 डेरवा-जेठवारा मार्ग से सरकारी अस्पताल होते हुए सिद्धिविनायक पैलेश तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। 5-वार्ड नं0-11 डेरवा-जेठवारा मार्ग सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होते हुए सिद्धिविनायक पैलेश होते हुए स्ट्रीट लाईट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन। 6-वार्ड नं0-8 धार्मिक स्थल				एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि के अनुरूप ही रू0 27.19 लाख द्वितीय किश्त में देय है।

			शिव मन्दिर से मोहन मिस्त्री के घर तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।					
3	बस्ती	बनकटी	1-वार्ड न0 02 चन्द्र नगर मो० मथौली में नन्दलाल के घर से प्राथमिक विद्यालय परिसर तक इंटरलाकिंग सडक का निर्माण कार्य। 2-वार्ड न0 10 शंकर नगर शंकर पुर दीपचन्द्र के घर से काली जी मन्दिर तक इंटरलाकिंग सडक का निर्माण कार्य। 3-वार्ड न0 11 राजेन्द्र प्रसाद नगर बैजीपुर में इंटरलाकिंग रोड से डीह बाबा स्थान तक इंटरलाकिंग सडक का निर्माण कार्य। 4-वार्ड न0 04 आजाद नगर डडिया मार्ग से प्राथमिक विद्यालय तक सी०सी० सडक निर्माण कार्य। 5-वार्ड न० 12 संतरविदास नगर बरौंहिया कला बस्ती-महुली मार्ग से प्राथमिक	580.12	290.06	579.44	289.38	निविदा की धनरशि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से कम है अत: इसको निविदा की धनराशि के अनरूप घटाते हुये रू0 289.38 लाख द्वितीय किश्त में देय है।

			विद्यालय तक सी0सी0 सड़क एवं स्ट्रीट लाइट मय पोल का स्थापना कार्य। 6-वार्ड न0 14 कलाम नगर पंखोबारी बस्ती-महुली मार्ग से प्राथमिक विद्यालय तक स्ट्रीट लाइट मय पोल का स्थापना कार्य। 7-वार्ड न0 02 चन्द्र नगर मथौली बस्ती-महुली मार्ग से प्राथमिक विद्यालय मथौली तक स्ट्रीट लाइट मय पोल का स्थापना कार्य। 8-वार्ड न० 05 वशिष्ठी नगर फेकू की दुकान से प्राथमिक विद्यालय बसौढी तक स्ट्रीट लाइट मय पोल का स्थापना कार्य। 9-वार्ड न० 08 लक्ष्मी बाई नगर फैलवा धुरई यादव के मकान से प्राथमिक विद्यालय फैलवा तक स्ट्रीट लाइट मय पोल का स्थापना कार्य। 10-वार्ड न0 06 मोहन नगर बरंडा सम्पर्क मार्ग से प्राथमिक					

			विद्यालय कैथौरा तक स्ट्रीट लाइट मय पोल का स्थापना कार्य। 11-वार्ड न0 01 आम्बेडकर नगर बनकटी ब्लाक चौराहों पर वेडिंग जोन का निर्माण कार्य। 12-वार्ड न0 08 लक्ष्मी बाई नगर देईसाड बाजार में वेडिंग जोन का निर्माण कार्य। 13-वार्ड न० 03 कृष्णा नगर देईसाड बाजार में वेडिंग जोन का निर्माण कार्य। 14-वार्ड न० 09 गांधी नगर बनकटी बाजार में वेडिंग जोन का निर्माण कार्य। 15-वार्ड न0 05 वशिष्ठी नगर में स्टेडियम का निर्माण कार्य। 16-नगर पंचायत बनकटी के मुख्य बाजार ,बनकटी चौराहों ,व बनकटी ब्लाक पर सी0सी0 टी0वी0 कैमरा का स्थापना कार्य।					

4	जौनपुर	रामपुर	1-वार्ड नं0 02 गौतम बस्ती से प्राथमिक विद्यालय मई प्रथम तक पहुच मार्ग/सम्पर्क मार्ग हेतु इण्टरलॉकिंग का कार्य। 2-वार्ड नं0 08 खेमापुर ब्रह्मबाबा के पास पहुच मार्ग/ सम्पर्क मार्ग हेतु इण्टरलॉकिंग का कार्य। 3-वार्ड नं0 07 देव स्थल से पंचायत भवन रामपुर (कैम्प कार्यालय रामपुर) तक पहुच मार्ग/ सम्पर्क मार्ग हेतु इण्टरलॉकिंग का कार्य। 4-वार्ड नं0 10 कृषि विभाग बाउण्ड्री के गेट से धनुहाँ पंचायत भवन तक पहुच मार्ग/ सम्पर्क मार्ग हेतु इण्टरलॉकिंग का कार्य। 5-वार्ड नं0 12 में सोवर्धन मौर्य के मकान से कम्पोजिट विद्यालय पर पहुच मार्ग/ सम्पर्क मार्ग हेतु इण्टरलॉकिंग का कार्य।	185.7	92.85	185.7	92.85	निविदा की धनरशि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के बराबर है अत: देय धनराशि रू0 92.85लाख द्वितीय किश्त में है।

			6-वार्ड नं0 08 खेमापुर में पहलवान बीर बाबा के पास पहुच मार्ग/ सम्पर्क मार्ग हेतु इण्टरलॉकिंग का कार्य। 7-वार्ड नं0 05 में स्थित पंचायत भवन पर पहुच मार्ग/सम्पर्क मार्ग हेतु इण्टरलॉकिंग का कार्य। 8-वार्ड नं0 05 में बरसठी सम्पर्क मार्ग से प्राथमिक विद्यालय सहनपुर तक मार्ग के दोनो पटरी पर इण्टरलॉकिंग सड़क का कार्य। 9-वार्ड नं0 13 नारायणी देवी बालिका जूनियर हाई स्कूल (Aded School) के पास पहुच मार्ग/सम्पर्क मार्ग हेतु इण्टरलॉकिंग का कार्य। 10-वार्ड नं0 06 जौनपुर भदोही एन0 एच0 रोड से महाबीर मंदिर सम्पर्क मार्गो पर प्रकाश व्यवस्था हेतु भूमिगत केबिल विस्तार व 07 मीटर					

			आक्टोगोनल पोल सहित 90 वॉट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन का कार्य।					
			11-वार्ड नं0 01 ठकुरी प्रसाद के मकान (सेमुही सम्पर्क मार्ग) से प्राथमिक विद्यालय भीमपुर तक प्रकाश व्यवस्था हेतु भूमिगत केबिल विस्तार व 07 मीटर आक्टोगोनल पोल सहित 90 वॉट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन का कार्य।					
			12-वार्ड नं0 10 माताशंकर दिक्षित के पम्प सेट से प्राथमिक विद्यालय मई प्रथम तक प्रकाश व्यवस्था हेतु भूमिगत केबिल विस्तार व 07 मीटर आक्टोगोनल पोल सहित 90 वॉट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन का कार्य।					
			13-वार्ड नं0 10 ब्राह्मण बस्ती से हनुमान मंदिर तक प्रकाश व्यवस्था हेतु भूमिगत केबिल विस्तार व 07					

				मीटर आक्टोगोनल पोल सहित 90 वॉट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन का कार्य। 14-वार्ड नं0 11 राधेश्याम पाण्डेय के मकान से प्राथमिक विद्यालय मई द्वितीय तक प्रकाश व्यवस्था हेतु भूमिगत केबिल विस्तार व 07 मीटर आक्टोगोनल पोल सहित 90 वॉट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन का कार्य। 15-वार्ड नं0 09 कन्नौजिया बस्ती से कम्पोजिट विद्यालय रामपुर तक प्रकाश व्यवस्था हेतु भूमिगत केबिल विस्तार व 07 मीटर आक्टोगोनल पोल सहित 90 वॉट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन का कार्य। 16-वार्ड नं0 12 नखड़ू के मकान से प्राचीन हनुमान जी मंदिर तक प्रकाश व्यवस्था हेतु भूमिगत					

			केबिल विस्तार व 07 मीटर आक्टोगोनल पोल सहित 90 वॉट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन का कार्य। 17-वार्ड नं0 08 खेमापुर में जौनपुर भदोही एन0एच0 रोड से प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र तक प्रकाश व्यवस्था हेतु भूमिगत केबिल विस्तार व 07 मीटर आक्टोगोनल पोल सहित 90 वॉट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन का कार्य। 18-वार्ड नं0 07 ब्राहम्ण बस्ती सम्पर्क मार्ग से पंचायत भवन रामपुर (कैम्प कार्यालय न0पं0 रामपुर) तक प्रकाश व्यवस्था हेतु भूमिगत केबिल विस्तार व 07 मीटर आक्टोगोनल पोल सहित 90 वॉट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन का कार्य। 19-वार्ड नं0 12 में वधुवाटिका से कम्पोजिट विद्यालय सम्पर्क मार्ग तक प्रकाश					

			व्यवस्थां हेतु भूमिगत केबिल विस्तार व 07 मीटर आक्टोगोनल पोल सहित 90 वॉट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन का कार्य।					
			20-वार्ड नं0 05 सहनपुर में हनुमान मंदिर (सहनपुर-बरसठी सम्पर्क मार्ग) से प्राथमिक विद्यालय सहनपुर तक प्रकाश व्यवस्था हेतु भूमिगत केबिल विस्तार व 07 मीटर आक्टोगोनल पोल सहित 90 वॉट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन का कार्य।					
			21-वार्ड नं0 13 कठवतिया-रामपुर सम्पर्क मार्ग से ब्राह्मण बस्ती होते हुए महादेव मंदिर तक प्रकाश व्यवस्था हेतु भूमिगत केबिल विस्तार व 07 मीटर आक्टोगोनल पोल सहित 90 वॉट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन का कार्य।					

5	अयोध्या	माँ॰ कामाख्या	1-वार्ड सं॰ 10 हरिहरपुर सैमसी रोड से एम॰आर॰एफ॰ सेन्टर तक सी॰सी॰ सड़क का निर्माण कार्य। 2-150 वाट एल॰ई॰डी॰ स्ट्रीट लाइट 7 मी॰ ऑक्टागोनल पोल स्थापना कार्य 12 नग 3-नगर पंचायत माँ कामाख्या में आकांक्षी योजना के अन्तर्गत आर्थिक क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए अर्बन हॉट वेंडिंग जोन का निर्माण कार्य	35.86	17.93	35.83	17.90	निविदा की धनरशि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से कम है अतः इसको निविदा की धनराशि के अनरूप घटाते हुये रू0 17.90 लाख द्वितीय किश्त में देय है।
कुल धनराशि (लाख में)				871.73	435.86	871.60	435.11	

(धनराशि रू0 चार करोड़ पैतीस लाख ग्यारह हजार मात्र

(1) उक्त निर्गत की जाने वाली धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
(2)इस संबंध में शासनादेश संख्या-396710/नौ-4-2023-कम्प्यूटर नं0 1745384, दिनांक 27.09.2023 के माध्यम से आकांक्षी नगर योजना की गाइड लाइन्स के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त धनराशि संबंधित निकाय (नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
(3)अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही कार्यो हेतु व्यय की जायेगी ।
(4)धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
(5)प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।
(6)धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
(7)प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जाये तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भकिये जाये।

(8)कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
(9)प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य मद में किया जाय। सामग्री/ उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
(10)कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत "डिस्पले बोर्ड" पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
(11)कार्य पूर्ण होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू०सी०) प्रेषित करने से पूर्व कार्यों का भौतिक सत्यापन अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग एवं एक प्रशासनिक अधिकारी समिति से कराते हुए उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
(12)लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
(13)कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व, संबंधित निकायों के अधिशासी अधिकारी का होगा।
(14)इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।
(15)प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निकाय द्वारा नये एस०ओ०आर० के अनुसार आगणन का गठन कराते हुये उक्त आगणन अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग से प्रतिहस्ताक्षरित (सी०एस०) कराया जायेगा।
(16)प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य मद में किया जाय। सामग्री/ उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
(17)संबंधित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति (डुप्लीकेसी) नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।
(18)कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत "डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
(19)व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज कोसमयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा ।
(20)इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य / वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का(विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।
(21)इस सम्बन्ध में लघु सूक्ष्म एवं माध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
(22)स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(23) निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा द्वारा 'सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(24) योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के सम्बन्ध में नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-1319/नौ-9-21-45ज/21 दिनांक 30 जून, 2021 तथा यथासंशोधित शासनादेश संख्या-1124/ नौ-9-2025-45ज/2021-ई-1749112 दिनांक 04 जून, 2025 द्वारा नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत में निर्माण/विकास कार्यों को कराये जाने हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure SOP) में उल्लिखित व्यवस्था का अनुपालन किया जाएगा।
(25)इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या- I/1049830/2025 दिनांक 06.08.2025 में उल्लिखित शर्तो/दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,35,11,000 (रुपये चार करोड़ पैंतीस लाख ग्यारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217808001200 आकांक्षी नगर योजना **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Digitally signed by
UDAI BHANU TRIPATHI
Date: 17-03-2026
10:26:22

भवदीय,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव

संख्या- /2026/ /002-E-1858326, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6. संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
7. संबंधित जिलाधिकारी।
8. संबंधित अधिशासी अधिकारी, उत्तर प्रदेश, (निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय के माध्यम से) ।
9. निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ ।
10. सहायक निदेशक (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त। (आय-व्ययक) ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन ।
12. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु ।

आज्ञा से,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव